हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
सामान्य प्रशासन शाखा

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद की वर्ष, 2012 की पॉचवी बैठक की कार्यवाही जो दिनांक 2 जुलाई, 2012 को दोपहर 12—00 बजे आचार्य ए0डी0एन0 वाजपेयी, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई । बैठक में निम्नलिखित उपस्थित हुए :—

1— श्री पी0सी0 धीमान
2— प्रो0 ओ0पी0 चौहान
3— प्रो0 श्रीराम शर्मा
4— डॉ0 बी0एल विन्टा
5— डॉ0(श्रीमती) उमा वर्मा
6— प्रो0 सुरेश कुमार
7— चौ0 बरयाम सिंह बैन्स
8— सुरेश भारद्वाज
9— डॉ0 धनी राम शर्मा
10—श्री एन0एस0 बिष्ट
11—डॉ0 के0पी0 ठाकुर
12—श्री सी0पी0 वर्मा —कुलसचिव
सदस्य—सचिव

<u>मद संख्या:1</u> : कुलपति महोदय का वक्तव्य ।

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वर्ष 2012 की पांचवीं नियमित बैठक में आप सभी सम्मानीय सदस्यों का स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूं ।

स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाएं पूरे प्रदेश तथा देश में कुछ केन्द्रों पर शांतिपूर्वक तरीके से 07 जून से आयोजित की जा रही हैं। स्नातक स्तर के तृतीय वर्ष के सभी परिणाम घोषित किए जा चुके हैं और शेष परिणाम भी अतिशीघ्र घोषित किए जाएंगें ।

पूरे विश्वविद्यालय तथा पुरूष छात्रावास परिसर में छात्र एवं संगठनों के बीच हुए झगड़े तथा पथराव आदि की घटनाओं के बाद जान—माल के लिए एहतियात स्वरूप कदम उठाए गए जिसमें पुरूष छात्रावास परिसर सहित पूरे विश्वविद्यालय में कानून—व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा—144 लगाने के लिए भी अनुरोध किया

गया। जिला प्रशासन और विशेष रूप पुलिस अधीक्षक के सकारात्मक सहयोग से परिसर में कानून–व्यवस्था बनाने में सहयोग मिला ।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लल्लन राय बनाम प्रदेश विश्वविद्यालय मुकद्दमें में चल रही सुनवाई में जो भी आदेश मिल रहे हैं उनका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और भविष्य में भी जो आदेश माननीय न्यायालय से प्राप्त हो रहे हैं। उनकी अक्षरक्षः अनुपालना की जा रही है।

विश्वविद्यालय में चल रही प्रवेश प्रक्रिया लगभग सभी विभागों में निश्चित तिथि पर पूरी कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र के माध्यम से प्रवेश 4 जुलाई से आरम्भ होगा और अगस्त माह में प्रदेश तथा देश के अन्य स्थानों में चिन्हित केन्द्रों पर मौके पर ही प्रवेश आरम्भ होगा ।

इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा निम्नलिखित संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित की गईः–

- दिनांक 18 मई 2012 को **भूगोल विभाग** में विशेष व्याख्यान देने की कड़ी में ''**सतत विकास व भूगोल**'' विषय पर व्याख्यान दिया ।
- दिनांक 21 मई 2012 को **आतंकवाद विरोधी शपथ** दिलाई जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के अतिरिक्त शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारी भी उपस्थित हुए ।
- दिनांक 24 मई 2012 को विश्वविद्यालय में आंतरिक गुणवता, विश्वसनीयता प्रकोष्ठ और लोक प्रशासन विभाग द्वारा संयुक्त रूप में आयोजित ''**विश्वविद्यालय में प्रशासनिक दक्षता– चुनौतियां एवं सुझाव**'' विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई ।
- दिनांक 29 मई 2012 को **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, पुणे,** महाराष्ट्र में 122वें प्रशिक्षण कोर्स के पूर्ण होने पर मुख्यातिथि के रूप में दीक्षान्त उद्बोधन दिया ।
- दिनांक 01 जनू 2012 को स्नातकोतर केन्द्र को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया जिसमें 395 छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक, खेलकूद, सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों में अव्वल स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित व पुरस्कृत किया गया।

- ❖ दिनांक 04 व 05 जून 2012 को विश्वविद्यालय के कृषि आर्थिकी अनुसंधान केन्द्र के सहयोग से मूल्य सूचकांक पर आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए दो दिवसीय विचार गोष्ठी आयोजित की गई जिसमें भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से आए उच्च अधिकारियों के साथ प्रदेश के उत्पादकों और व्यापारियों के साथ विचार विमर्श किया गया।
- ❖ दिनांक 07 जून 2012 को यू.जी.सी. अकादमिक कॉलेज में वाणिज्य एवं प्रबन्धन पर पुनश्चर्या कार्यक्रम में विशेष व्याख्यान दिया जिसमें 14 राज्यों के 34 शिक्षकों ने भाग लिया।
- ❖ दिनांक 15 जून 2012 को **इण्डोनेशिया के भारत में राजदूत लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) आंदी मोहम्मद घालिब** से शैक्षणिक आदान–प्रदान के लिए बातचीत की गई जिसमें आर्थिकी और राजनैतिक विषयों पर आपसी आदान–प्रदान के लिए बातचीत की गई जिसमें आर्थिकी और राजनैतिक विषयों पर आपसी आदान–प्रदान को महत्व दिया गया। दोनों देशों के छात्र एक–दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों में आपसी आदान–प्रदान के अनुसार विभिन्न संकायों में अध्ययन करने के लिए भी विस्तृत बातचीत हुई।
- ❖ **''उच्च शिक्षा में गुणवत्ता''** पर आईक्यूएसी के तत्वावधान में एक व्याख्यान का आयोजन किया गया।
- ❖ दिनांक 16 जून 2012 को आईक्यूएसी की बैठक हुई जिसमें विश्वविद्यालय के चहुमुखी विकास की कार्ययोजना बनाई गई।
- ❖ दिनांक 21 जून 2012 को यू.जी.सी. अकादमिक स्टॉफ कॉलेज में 107वें उन्नमुखी कार्यक्रम का उद्‌घाटन किया। इस कार्यक्रम में एक महीने तक विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के 38 शिक्षकों ने भाग लिया।
- ❖ **दिनांक 21 जून 2012** को इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में हृदय रोग विभागाध्यक्ष, प्रो.पी.सी.नेगी ने **हार्ट अटैक से बचाने के लिए सावधानियां** बताते हुए हृदय रोग से सम्बन्धित विशेष व्याख्यान दिया।

❖ दिनांक 24 जून 2012 को विश्वविद्यालय यू.जी.सी.नैट / जे.आर.एफ. की परीक्षा सुचारू रूप से सम्पन्न हुई।

❖ विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न स्नातकोत्तर विषयों में प्रवेश हेतु परीक्षाएं सुचारू रूप से सम्पन्न हुई।

❖ पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्वविद्यालय का त्रिदिवसीय स्थापना दिवस आयोजन दिनांक 22–24 जुलाई, 2012 तक किया जायेगा जिसमें देश के विद्वानों को आमंत्रित किया जायेगा।

❖ हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 18 करोड़ रुपये की राशि कर्मचारियों एवं सेवानिवृत कर्मचारियों के संशोधित वेतनमानों के बकाया राशि भुगतान करने हेतु जारी की गई है जिसमें से रुपये 11 करोड़ 93 लाख रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है।

मैं कुलसचिव से निवेदन करूंगा कि आज के लिए प्रस्तावित मदों को परिषद् के सम्मुख चर्चा के लिए प्रस्तुत करें।

मद संख्या:2: कार्यकारिणी परिषद की पिछली बैठक दिनांक 17–05–2012 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने पिछली बैठक दिनांक 17–05–2012 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण कर दिया ।

मद संख्या :3 : कार्यकारिणी परिषद की बैठक दिनांक 17–05–2012 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही का विवरण ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने दिनांक 17–05–2012 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही को अनुमोदित किया ।

मद संख्या: 4 : कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–12 –सी (7) के अन्तर्गत लिए गए निर्णयों से अवगत करवाना ।

......

उपरोक्त शक्ति के अन्तर्गत कुलपति महोदय ने कोई कार्यवाही नहीं की है ।

मद संख्या :5: कार्यकारिणी परिषद के माननीय सदस्यों से यदि कोई मद प्राप्त हुई है ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने माननीय सदस्य प्रो0 सुरेश कुमार द्वारा उठाये गए विशेष छुट्टियों तथा निदेशक, व्यावसायिक अध्ययन विभाग की नियुक्ति मामलों पर चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया कि इन मामलों का परीक्षण कर इसे परिषद के समक्ष रखा जाए ।

<u>मद संख्या:6:</u> कार्यकारिणी परिषद के समक्ष हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला एवं हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से बी.टैक एवं बी. फार्मेसी की परीक्षाएं करवाने हेतु परीक्षा नियन्त्रक की अध्यक्षता में दिनांक 28–04–2012 को की गई बैठक की कार्यवाही विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला एवं हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से बी.टैक एवं बी. फार्मेसी की परीक्षाएं करवाने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

<u>मद संख्या:7:</u> बी.बी.ए., बी.सी.ए. तथा एम.सी.ए. कोर्सों को सत्र 2012–2013 से हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर में स्थानान्तरित करने हेतु मामला कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने निर्णय लिया कि सत्र 2012–2013 के लिए बी.बी.ए., बी.सी.ए. तथा एम.सी.ए. कोर्सों के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है अतः अभी इस मामले में कोई निर्णय लेना उचित नहीं होगा ।

<u>मद संख्या:8:</u> कार्यकारिणी परिषद के समक्ष हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय वित्त विभाग का सम्पूर्ण कम्प्यूट्रीकरण करना ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने वित्त विभाग को सम्पूर्ण कम्प्यूट्रीकरण करने के अंतर्गत प्रथम चरण में लेखा शाखा–। को कम्प्यूट्रीकृत करने, System Study करने व इस कार्य पर अनुमानित मु0 2,59,952/– रूपये (कर अलग)का व्यय करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या:9: श्री इंद्र सिंह डोगरा, भूतपूर्व सुरक्षा अधिकारी के विरूद्ध विभागी जॉच की जॉच रिपोर्ट तथा श्री इंद्र सिंह डोगरा द्वारा दिए गए उत्तर को साथ पढ़ते हुए अन्तिम निर्णय हेतु कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत है ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने श्री इंद्र सिंह डोगरा, भूतपूर्व सुरक्षा अधिकारी के मामले को डॉ0 कुलदीप चन्द अग्निहोत्री, पूर्व निदेशक, विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केन्द्र धर्मशाला और श्री अजय श्रीवास्तव के मामले में पूर्व में लिए गए निर्णय के आधार पर समाधान/निपटाने का निर्णय लिया ।

मद संख्या:10: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 20–3–2012 की मद संख्या–2 में लिए गए निर्णयानुसार मु0 30–00 लाख रूपये अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं अध्ययन केन्द्र से ऋण के रूप में हस्तांतरण बारे ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान को अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं अध्ययन केन्द्र से ऋण के रूप में मु0 30–00 लाख रूपये हस्तांतरण के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की । उपरोक्त राशि के हस्तांतरण पर चौ0 बरयाम सिंह बैन्स ने परिषद के समक्ष यह मामला उठाया कि सेवानिवृत्त हुए शिक्षक व गैर–शिक्षक कर्मचारियों के लगभग 13 करोड़ रूपये के सेवानिवृत्ति लाभ तथा सेवारत कर्मचारियों की अन्य देनदारियां **(संलग्नक)** विश्वविद्यालय को अदा करनी हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि पूर्व में भी करोड़ों रूपये इक्डोल से ऋण के रूप में लिए हैं और इस लिए गए ऋण को अभी तक वापिस नहीं किया है, यदि इसी तरह अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र की जमा राशि का इस्तेमाल होता रहा तो मूल राशि पर मिलने वाले ब्याज के रूप में होने वाली आय का विश्वविद्यालय को प्रति वर्ष करोड़ों रूपये का घाटा उठाना पड़ेगा जो कि अपने आप में एक गम्भीर मामला है ।

परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त होने पर उक्त राशि को अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं अध्ययन केन्द को वापिस किया जाएगा और साथ ही इक्डोल से लिया गया ऋण भी समुचित अनुदान प्राप्त होने पर लौटा दिया जायेगा ।

मद संख्या:11: श्री अमित कुमार, सुपुत्र श्री खेम सिंह जो कि एम.एड. भाग दो का विद्यार्थी है जिसका परीक्षा रोल नम्बर 66430 है, उसका एम.एड. भाग दो का परीक्षा परिणाम धारा 6.72 के अन्तर्गत विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए

अयोग्य ठहराया है । धारा 6.73 के अन्तर्गत उसका परीक्षा परिणाम निरस्त किया जाए । यह प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है । एम.एड. भाग–दो का परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय अध्यादेश की धारा 6.70 के अन्तर्गत निरस्त करने बारे ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने निर्णय लिया कि श्री अमित कुमार, एम.एड. विद्यार्थी को मामले का विस्तृत विवरण देते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए **कारण बताओ नोटिस** जारी किया जाए, तथा सम्बन्धित कर्मचारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा जाए ।

मद संख्या:12: कार्यकारिणी परिषद की मद संख्या–21 दिनांक 29–3–2012 द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शुरू किए गए नए डिप्लोमा पाठ्यक्रम की फीस में संशोधन हेतु प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने डॉ0 दीन उपाध्याय पीठ में डिप्लोमा कोर्स की फीस 2000/– रूपये प्रति वर्ष अनुमोदित किया ।

मद संख्या:13: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र, धर्मशाला के लोक प्रशासन विभाग के अध्यापकों की सवाओं को स्थाई रूप से विश्वविद्यालय, शिमला में प्रदान करने बारे ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र, धर्मशाला के लोक प्रशासन विभाग के सहायक अध्यापकों की सेवाओं पर यथा–स्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया ।

मद संख्या:14: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र में सम्पादक के पद हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 16–4–2012 की सिफारिशें प्रस्तुत करने बारे ।

.....

सभापति ने चयन समिति की सिफारिशों को परिषद में पढ़कर सुनाया । सिफारिशें निम्न प्रकार से हैं :–

संपादक (इक्डोल)

श्री प्रदीप शर्मा को संपादक के पद पर नियुक्ति की सिफारिश की गई ।

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशें का अनुमोदन किया ।

मद संख्या:15: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष आचार्य जगत पाल शर्मा, हिन्दी विभाग की पदोन्नति सी.ए.एस. के अन्तर्गत देय तिथि से देने बारे ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने CWP (T)No.247/2008 में माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेशानुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की सिफारिश के अनुसार डॉ0 जगत पाल शर्मा को दिनांक 05–08–2003 से सी0ए0एस0 के अन्तर्गत आचार्य के पद पर पदोन्नति देने का निर्णय लिया ।

मद संख्या:16: माननीय कार्यकारिणी सदस्य चौ0 बरयाम सिंह बैस द्वारा कार्यकारिणी परिषद की बैठक दिनांक 31–1–2012 में अन्य मद के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के सृजित व खाली पदों की 31 मार्च, 2012 तक की स्थिति तथा 1–1–2013 को क्या स्थिति होगी बारे मॉगी गई सूचना का ब्यौरा कार्यकारिणी परिषद के समक्ष रखने हेतु ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने माननीय सदस्य चौ0 बरयाम सिंह बैन्स द्वारा विश्वविद्यालय में श्रेणी–ए में 194, श्रेणी–बी में 47, श्रेणी–सी में 233 तथा श्रेणी–डी में 63 खाली पड़े पदों पर उठाये गए मामले पर विस्तार से चर्चा की । इस पर माननीय कुलपति महोदय ने परिषद को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में रिक्तियों को देखते हुए 43 लिपिकों के पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन दिया जा रहा है और अध्ययन विभागों में आवश्यकतानुसार भर्ती प्रक्रिया चल रही है । श्री बैन्स की चिन्ता पर सभी सदस्यों ने सहमति प्रकट की ।

परिषद ने आगे यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा–निर्देशों और चयन समिति के लिए निर्धारित रचना के अनुसार नियुक्त अतिथि/आंशिक संकाय में व्याख्यान देने के लिए चयन समिति से चयनित प्राध्यापकों को 1000/–रूपये प्रति व्याख्यान की दर से मानदेय दिया जाये जिसकी अधिकतम सीमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप होगी । दूरवर्ती शिक्षा में आमंत्रित अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय बढ़ाने की भी आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त परिषद ने यह भी निर्णय लिया चयन समिति की रचना में कुलपति महोदय स्वयं उपस्थित होगे या उनके नामिती तथा इसमें अन्य सदस्यों के नामांकन के मामले का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की समिति गठित की :–

1. अधिष्ठाता अध्ययन
2. प्रो0 ओ0पी0 चौहान

3. श्री एन0एस0 बिष्ट

मद संख्या:17: माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला द्वारा सी0डब्ल्यूपी–(टी)(नं0) 634/2008 शीर्षक डॉ0 रत्न सिंह तथा अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में दिए गए आदेशों के अनुसार कार्यकारिणी परिषद के समक्ष एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान का मामला अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्ल्यूपी–(टी)(नं0) 634/2008 शीर्षक डॉ0 रत्न सिंह तथा अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में दिए गए आदेशों पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 30 करोड़ रूपये के बजट प्रावधान से आरम्भ किया था लेकिन संस्थान को 30 करोड़ रूपये के आवंटन के विरूद्ध वर्ष 2002 में केवल 5 करोड़ रूपये का अनुदान प्राप्त हुआ था और इसके उपरान्त कोई अन्य राशि प्राप्त नहीं हुई । इस पर माननीय कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस संस्थान की उपलब्धियों के निरीक्षण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निरीक्षण समिति की यात्रा सम्भावित है और यदि यह निरीक्षण समिति संस्थान को अनुदान प्रदान करती है तो विश्वविद्यालय इस संस्थान द्वारा शोध कार्य को जारी रखना चाहेगा । जिस पर परिषद ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और प्रदेश सरकार से एकीकृत अध्ययन संस्थान को अनुदान प्राप्त न होने की स्थिति में जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में इस संस्थान में कार्यरत शोधकर्ताओं का विश्वविद्यालय में विलय और नियमितीकरण करने पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए कहा है इस संस्थान में शोध कार्य कर रहे शोधर्ताओं के विश्वविद्यालय में विलय तथा नियमितिकरण में विश्वविद्यालय सक्षम नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय के पास इस जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए आय के अपने कोई स्त्रोत नहीं है । विश्वविद्यालय पहले ही अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिएं शत–प्रतिशत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और प्रदेश सरकार पर निर्भर है । इसके अतिरिक्त एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान के विश्वविद्यालय में विलय पर मामला विश्वविद्यालय अधिष्ठाता समिति के समक्ष रखा गया था जिसे अधिष्ठाता समिति ने इस आशय के साथ निरस्त कर दिया था कि एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान की तरह विश्वविद्यालय में कई और प्रोजैक्ट और निकट भविष्य में भी आयेंगे जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व

अन्य एजैन्सियां इनके संचालन हेतु अनुदान प्रदान कर रही हैं भी आगामी भविष्य में विश्वविद्यालय में विलय के लिए मॉग करेंगें जो विश्वविद्यालय के लिए करना सम्भव नहीं है ।

उपरोक्त सभी पहलुओं पर गहन विचार–विमर्श के उपरान्त परिषद ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान जारी रहेगा । एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान को विश्वविद्यालय का नियमित विभाग बनाने पर तभी विचार किया जा सकता है यदि प्रदेश सरकार इसमें कार्यरत शोधकर्ताओं व कर्मचारियों को वेतन, पैन्शनरी व अन्य वित्तीय लाभ देने की जिम्मेदारी लेती है । प्रदेश सरकार से इस संस्थान के लिए नियमित अनुदान प्राप्त होने के उपरान्त मामला वित्त समिति के समक्ष इसके अवलोकन एवं सिफारिश हेतु रखा जाए, तदोपरान्त वित्त समिति की सिफारिशों को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । अतः परिषद के निर्णय से माननीय उच्च न्यायालय को अवगत करवाया जाए ।

मद संख्या:18: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष छात्रावासों में प्रवेश का मामला ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने अध्यादेश 28.7 में संशोधनों को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया ।

मद संख्या:19: कार्यकारिणी परिषद की 20–4–2012 को हुई बैठक की कार्यवाही चर्चा अनुसार परीक्षा नियन्त्रक से मांगी गई जानकारी का विवरण ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने जनवरी, 1990 के बाद स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों को तृतीय से द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी से 55 प्रतिशत या प्रथम श्रेणी में सुधार करने के लिए वर्ष 2001 के बाद स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों को दिये गए विशेष अवसर के आधार पर दो सत्रों नवम्बर, 2012 और जून, 2013 में नए पाठ्यक्रम के अन्तर्गत जो पुराने पाठ्यक्रम के समकक्ष हों , विशेष अवसर प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या:20: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष 10 मई, 2012 के बाद घोषित परिणामों का विवरण ।

....

नोट कर अनुमोदित किया ।

अन्य मदें :–

आचार्य सुरेश कुमार

माननीय सदस्य आचार्य सुरेश कुमार ने पिछली बैठक दिनांक 17–5–2012 को चयन समिति की सिफारिशों पर श्री विवेक नाथ त्रिपाठी (विकलांग श्रेणी) की सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति पर यह कहा कि नियुक्ति/प्रवेश में आरक्षण चाहे वह अनुसूचित–जाति/अनुसूचित जनजाति या विकलांग श्रेणी इत्यादि के हों, केवल हिमाचली अभ्यार्थियों को ही दिया जाता है लेकिन श्री विवेक नाथ त्रिपाठी हिमाचल के स्थायी निवासी नहीं हैं इसलिए इस पर इनकी नियुक्ति तर्कसंगत नहीं लगती है । इस पर माननीय कुलपति ने कहा कि भर्ती शाखा द्वारा मामले का परीक्षण कर स्थिति परिषद के समक्ष रखी जाएगी ।

डॉ धनी राम शर्मा

माननीय सदस्य डॉ0 धनी राम शर्मा ने पिछली बैठक दिनांक 17–5–2012 को अनुमोदित नये पाठ्यक्रमों को इसी सत्र से आरम्भ करने पर बल दिया ताकि विश्वविद्यालय के आय के संसाधनों में बढ़ौतरी हो सके । इस पर माननीय कुलपति महोदय ने कहा नये पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है और समिति ने लगभग 16 नये पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने पर अपनी सहमति व्यक्त की है परिषद ने यह भी निर्णय भी निर्णय लिया कि अधिष्ठाता अध्ययन, निदेशक, यू0आई0आई0टी0/स्कूल आफफ लीगल स्टडीज माननीय सदस्य डॉ0 धनी राम शर्मा से इस मामले पर बातचीत कर शीघ्रातिशीघ्र आगामी आवश्यक कार्यवाही करें ।

डॉ0 के0पी0 ठाकुर

माननीय सदस्य डॉ0 के0पी0 ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर के परीक्षा परिणाम समय पर घोषित नहीं हो रहे हैं जिससे कि विद्यार्थियों को अगले कक्षाओं में प्रवेश लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है । डॉ0 के0 पी0 ठाकुर के इस कथन का आचार्य सुरेश कुमार ने भी समर्थन किया । और कहा कि इसकी बजह से एम0बी0ए0 में काउंसलिंग नहीं हो पा रही है । इस पर माननीय कुलपति ने आश्वसन दिया कि स्नातकर स्तर की परीक्षाओं के परिणाम समय पर घोषित करने के परीक्षा शाखा में अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किये गए हैं तथा कुछ

और कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है ताकि परीक्षा परिणाम समय पर घोषित किया जा सकें ।

श्री एन0 एस0 बिष्ट

माननीय सदस्य श्री एन0एस0 बिष्ट ने कहा कि कृषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र, शिमला वर्ष, 1995 व 1998 में सृजित पदों को विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया है अतः इन पदों को भी अधिसूचित किया जाए ।

श्री बिष्ट ने यह भी कहा कि डॉ0 पुरूषोत्तम भारद्वाज, कार्टोग्राफर के मामले में जैसा कि कार्यकारिणी परिषद ने अपनी पिछली बैठक में निर्णय लिया था कानूनी सलाह लेकर उनको देय वित्तीय लाभ जारी किए जाएं ।

इसके अतिरिक्त श्री बिष्ट ने कहा विश्वविद्यालय के कार्य से वाहर जाने वाले शिक्षकों व विश्वविद्यालय के कार्य से निजी वाहन/टैक्सियां किराये पर लेकर आने बाले शिक्षकों/विशेषज्ञों को रास्ते में लिये जाना वाला टोल टैक्स व अन्य किसी भी प्रकार का कर देय होना चाहिए ।

इस पर परिषद ने निर्णय लिया किया कि विश्वविद्यालय के कार्य से निजी वाहन लेकर वाहर आने–जाने वाले शिक्षकों तथा विश्वविद्यालय के कार्य से निजी वाहन/टैक्सियां किराये पर लेकर आने बाले शिक्षकों/विशेषज्ञों को रास्ते में लिये जाना वाला टोल टैक्स व अन्य किसी भी प्रकार का कर रसीद देने पर देय होगा ।

श्री सुरेश भारद्वाज

माननीय सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कार्यकारिणी परिषद ने अपनी पिछली बैठक में कम्प्यूटर साईंस में कार्यरत श्री जवाहर ठाकुर को पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रवेश परीक्षा से एक बार छूट देने का निर्णय लिया था, तो इसी आधार पर यू0आई0आई0टी0 में कार्यरत श्री अक्षय भारद्वाज को भी पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रवेश परीक्षा से एक बार छूट दी जाए, जिसे कार्यकारिणी परिषद ने विशेष प्रकरण के रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान की, और निर्णय लिया कि आगे के लिए इसे परम्परा न बनाया जाये ।

आचार्य ओ0पी0 चौहान

माननीय सदस्य आचार्य ओ0पी0 चौहान ने कहा कि विधि विभाग में अध्ययनरत श्री अजय कुमार सुपुत्र श्री ओम चन्द की गलत प्रवेश की शिकायत

केन्द्रीय छात्र संघ ने विभाग में की है । जिस पर विभाग ने विभागीय परिषद की बैठक बुलाकर मामले इसके समक्ष रखा था । उन्होंने कहा कि जॉच करने पर यह पाया गया कि श्री अजय कुमार की स्नातक की परीक्षा पास नहीं थी लेकिन परीक्षा शाखा द्वारा अभ्यार्थी को पास घोषित कर दिया गया था जिसका सत्यापन दोबारा परीक्षा शाखा से करवाया गया ।

इस पर परिषद ने निर्णय लिया कि क्योंकि अब अभ्यार्थी स्नातक स्तर की परीक्षा पास कर चुका है और वर्तमान में चतुर्थ समैस्टर का विद्यार्थी है अतः विद्यार्थी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए श्री अजय कुमार को एल.एल.बी. उपाधि पूर्ण करने हेतु अध्ययन जारी रखने की अनुमति प्रदान की, क्योंकि इसमें परीक्षा शाखा की गलती है और इस गलती के लिए सम्बन्धित को **कारण बताओ नोटिस** जारी किया जाए ।

श्री पी0सी0 धीमान

माननीय सदस्य श्री पी0सी0 धीमान ने कहा कि उपाधि प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को उपाधि के साथ–साथ सर्टिफिकेट/डिप्लोमां कोर्स करने की भी अनुमति होनी चाहिए । इस पर माननीय कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय में पहले ही उपाधि के साथ कुछ डिप्लोमां कोर्स करने का प्रावधान है फिर भी परिषद ने उपाधि कोर्स के साथ कुछ अन्य सर्टिफिकेट/डिप्लोमां कोर्सों का प्रावधन विश्वविद्यालय अध्यादेश में करने के लिए निम्नलिखित समिति का गठन किया :–

1– अधिष्ठाता अध्ययन	–अध्यक्ष
2– निदेशक (यू0आई0आई0टी0)	–सदस्य
3– परीक्षा नियन्त्रक	–सदस्य
4– डॉ0 बी0एल0 बिन्टा	–सदस्य
5– डॉ0(श्रीमती) उमा वर्मा	–सदस्य

चौ0 बरयाम सिंह बैन्स

माननीय सदस्य चौ0 बरयाम सिंह बैन्स ने कहा कि कार्यकारिणी परिषद की कार्यवाही की प्रति अध्ययन विभागों के निदेशकों एवं प्रधानाचार्य, विश्वविद्यालय सांध्यकालीन केन्द्र, शिमला को भी प्रेषित की जाए जिसे कार्यकारिणी परिषद ने अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

कार्यकारिणी परिषद के सभी सम्माननीय सदस्यों ने हाल ही में विश्वविद्यालय कैम्पस और छात्रावासों में हुई हिंसक घटनाओं पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की, और माननीय कुलपति महोदय को विश्वविद्यालय में हिंसा फैलाने वाले छात्रों की पहचान करने के लिए एक समिति गठित करने के लिए प्राधिकृत किया । यह समिति हिंसा में दोषी पाये जाने वाले छात्रों की पहचान कर अपनी रिपोर्ट कुलपति महोदय को प्रस्तुत करे ताकि दोषी छात्रों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जा सके । यदि भविष्य में विश्वविद्यालय में हालात सामान्य नहीं होते हैं तो कार्यकारिणी परिषद ने ऐसी स्थिति में माननीय कुलपति महोदय को आवश्यक कार्यवाही करने के प्राधिकृत करने का निर्णय लिया ।

बैठक पीठ को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई ।

(सी0पी0 वर्मा)
कुलसचिव
सदस्य–सचिव

पुष्टिकरण

हस्ता0 / –
(आचार्य ए.डी.एन. बाजपेयी)
कुलपति / सभापति